II/नि0/2017/4819 ₹44

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म.प्र.)

Rs. 30/-

CANCELLED CANCELLED

1– यदुनाथ प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 70 वर्ष,

2– कमलेश प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 60 वर्ष,

3– शिवमोहन प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 55 वर्ष,

4– रामलखन ब्राम्हण उम्र 50 वर्ष

5– सुरेश प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 45 वर्ष,

6– विनोद कुमार ब्राम्हण, उम्र 40 वर्ष

सभी के पिता गोपिका प्रसाद ब्राम्हण, सभी निवासी ग्राम बरा, तहसील–अमरपाटन, जिला–सतना (म0प्र0)

————निगरानीकर्तागण

बनाम

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

रामबिहोर कोटवार तनय श्री गणेश प्रसाद कोटवार, निवासी ग्राम बरा, तहसील–अमरपाटन, जिला–सतना (म0प्र0)

————गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला–सतना (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक–61/अपील/2016–17 यदुनाथ वगै0 बनाम रामबहोर पारित आदेश. दिनांक 26.09.2017 के विरूद्ध।

XXXIX(a)-BR(H)-11

19

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2017/4819 जिला–सतना

यदुनाथ प्रसाद / रामबहोद कोटवार

(1)	(2)	(3)
05-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्रमणि त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 61/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य	